एम0डी0एफ0/एच0डी0एफ0 एवं पार्टिकल बोर्ड इकाईयों के रजिस्ट्रेशन किये जाने की संशोधित शर्तें -

1. इकाई द्वारा 30 सेमी0 व्यास से अधिक के बैण्ड सॉ, री-सॉ या चक्रीय आरा का प्रचालन नहीं किया जायेगा।

2. उक्त इकाईयों द्वारा वन क्षेत्र से उत्पादित काष्ठ का प्रयोग नहीं किया जायेगा। इकाईयों द्वारा वन क्षेत्र के बाहर उत्पादित काष्ठ का प्रयोग किया जायेगा।

3. उक्त इकाईयों द्वारा Lops & tops, Wood waste, Saw Dust, गैर प्रकाष्ठ, कच्चा माल तथा Agri-waste (Bagasse, Parali etc.) आदि का प्रयोग किया जा सकेगा।

4. उक्त इकाईयों द्वारा प्रदेश में कृषि-वानिकी/कृषिगत फसलों के रूप में घोषित प्रजातियां और/या राज्य में पातन तथा अभिवहन व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से छूट प्राप्त और जायज स्त्रोतों से प्राप्त गोल लट्‌ठों/इमारती लकड़ी का प्रयोग किया जा सकेगा।

5. आवेदक/संचालक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

6. यह रजिस्ट्रेशन 05 वर्षों के लिये मान्य होगा।

7. आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा किया जायेगा। प्रथम बार रजिस्ट्रेशन हेतु 01 वर्ष से 05 वर्ष तक की अवधि हेतु निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क इकाई स्वामी द्वारा एक मुश्त ऑनलाइन जमा किया जायेगा। तत्पश्चात आगामी वर्षों हेतु रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण 01 वर्ष से 05 वर्ष तक की अवधि हेतु तत्समय निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कर, किया जा सकेगा।

8. रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त होने से 3 माह पूर्व रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराया जाना होगा। नवीनीकरण हेतु तत्समय निर्धारित शुल्क इकाई स्वामी द्वारा जमा कराया जाना होगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में आवेदक के अनुरोध पर उक्त समय-सीमा को अध्यक्ष, राज्य स्तरीय समिति द्वारा 03 माह हेतु अवधि विस्तार किया जा सकता है। उक्त विस्तारित अवधि के पश्चात समय-सीमा बढ़ाये जाने का निर्णय राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

9. रजिस्ट्रेशन शुल्क हेतु निम्नानुसार प्रस्तावित किया जा रहा है –

इकाई का नाम	वार्षिक शुल्क (रू0 में)	प्रथम 5 वर्षों के लिये शुल्क (रू0 में)
सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी के काष्ठ आधारित उद्योग इकाई के लिए (उपकरण एवं संयंत्र (Plant and Machinery) की लागत रू0 25 लाख से अधिक न हो)	30,000	1,50,000
लघु उद्योग की श्रेणी के काष्ठ आधारित उद्योग इकाई के लिए (उपकरण एवं संयंत्र (Plant and Machinery) की लागत रू0 25	उपकरण एवं संयंत्र की लागत का 1% किन्तु न्यूनतम रू0 30,000 एवं अधिकतम रू0 3.00 लाख	उपकरण एवं संयंत्र की लागत का 5% किन्तु न्यूनतम रू0 1.5 लाख एवं अधिकतम रू0 15.00 लाख

लाख से अधिक किन्तु रू0 5 करोड़ से अधिक न हो)		
मध्यम उद्योग की श्रेणी के काष्ठ आधारित उद्योग इकाई के लिए (उपकरण एवं संयंत्र (Plant and Machinery) की लागत रू0 5 करोड़ से अधिक किन्तु 10 करोड़ से अधिक न हो)	उपकरण एवं संयंत्र की लागत का 1% किन्तु अधिकतम रू0 6.00 लाख	उपकरण एवं संयंत्र की लागत का 5% किन्तु अधिकतम रू0 30.00 लाख
अन्य श्रेणी के काष्ठ आधारित उद्योग इकाई के लिये (उपकरण एवं संयंत्र (Plant and Machinery) की लागत रू0 10 करोड़ से अधिक)	उपकरण एवं संयंत्र की लागत का 1% किन्तु अधिकतम रू0 20.00 लाख	उपकरण एवं संयंत्र की लागत का 5% किन्तु अधिकतम रू0 1.00 करोड़

10. इकाई स्वामी द्वारा उपकरण एवं संयंत्र (Plant and Machinery) की अनुमानित लागत का उल्लेख फार्म में किया जायेगा, जिसके आधार पर इकाई स्वामी द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा किया जायेगा। यदि भविष्य में उक्त अनुमानित लागत में कोई बढ़ोत्तरी होती है तो इकाई स्वामी द्वारा बकाया रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा किया जायेगा।

11. सक्षम अधिकारी से रजिस्ट्रेशन निर्गत होने के पश्चात 06 माह के भीतर भूमि क्रय/लीज तथा मशीनों को क्रय करने का आदेश इकाई स्वामी द्वारा दिया जायेगा। भूमि क्रय/लीज तथा मशीनों को क्रय करने का आदेश को आवेदक द्वारा अपलोड किया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त समय-सीमा को क्रमशः 03 माह एवं 03 माह का अवधि विस्तार अध्यक्ष, राज्य स्तरीय समिति द्वारा इकाई स्वामी के अनुरोध पर प्रदान करने पर दिया जा सकता है। उक्त अवधि के पश्चात अग्रिम विस्तार पर दिये जाने पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

12. इकाई स्वामी द्वारा वार्षिक रजिस्ट्रेशन शुल्क के अतिरिक्त इकाई/फर्म को एक बार निम्नानुसार एक मुश्त धनराशि (One Time Payment) जमा करनी होगी -

एम0डी0एफ0/एच0डी0एफ0 इकाई	-	रू0 30 लाख
पार्टिकल बोर्ड इकाई	-	रू0 30 लाख
एम0डी0एफ0/एच0डी0एफ0 + पार्टिकल बोर्ड संयुक्त इकाई	-	रू0 50 लाख

उक्त धनराशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 के राज्य स्तरीय समिति के अन्तर्गत संचालित काष्ठ आधारित उद्योग के बैंक खाते में रखी जायेगी तथा इसका उपयोग वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण में किया जायेगा।

13. इकाई को निकटतम अधिसूचित वनों अथवा संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से माननीय सर्वोच्च न्यायालय/सम्बन्धित राज्य के माननीय उच्च न्यायालय/केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति के

राज्य विशिष्ट आदेश/अनुमोदन के अनुसार, सड़क के किनारे/रेलवे के किनारे/नहर के किनारे के वृक्षारोपणों को अपवर्जित करते हुए, निकटम अधिसूचित वनों अथवा संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से 10 किलोमीटर की हवाई दूरी से अधिक, जो भी कम हो, प्रचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी। इकाई निकटतम अधिसूचित वन अथवा संरक्षित क्षेत्र की सीमा से हवाई दूरी पर ध्यान दिये बिना किसी Industrial Estate अथवा किसी नगर पालिका क्षेत्र में स्थापित किये जा सकते हैं

14. इकाई के मालिक/संचालक/आवेदक या उसके परिवार के विरूद्ध कोई वन अपराध लम्बित न हों।

15. इकाई स्वामी को इकाई में प्रयोग किये गये काष्ठ का विवरण निर्धारित प्रपत्र में संधारित करना होगा।

16. आवेदक द्वारा एम0डी0एफ0/एच0डी0एफ0,पार्टिकल बोर्ड एवं एम0डी0एफ0/एच0डी0एफ0 + पार्टिकल बोर्ड इकाई से सम्बन्धित नियमों/शर्तों का पालन करने सम्बन्धी शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना होगा।

17. रजिस्ट्रेशन इकाई का नामान्तरण एवं स्थानान्तरण राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात ही किया जायेगा।

18. रजिस्ट्रेशन इकाई के स्वामित्व का परिवर्तन जिनमें Majority Shareholding तथा Partner के नाम परिवर्तन भी सम्मिलित है, इकाई के व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पूर्व नहीं किया जायेगा।

19. प्रत्येक आवेदक को आवेदन पत्र में वचनबद्धता देनी होगी कि वह काष्ठ आधारित उद्योग इकाई की स्थापना और संचालन के लिए प्रासंगिक सभी कानूनों/नियमों/निर्णयों एवं राज्य स्तरीय समिति काष्ठ आधारित उद्योग उत्तर प्रदेश, अन्य राजकीय संस्थानों, न्यायालय जिसमें सुसंगत मार्ग निर्देशों/नियमावलियों/भारतीय वन अधिनियम आदि के अनुसार राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी शामिल है, जारी सभी निर्देशों का पालन करेगा। आवेदक को केन्द्र एवं राज्य सरकार के तथा उनके प्राधिकरणों से वांछित अनुमति/एन0ओ0सी0 प्राप्त करनी होगी।

20. आवेदक द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 को उचित कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।